विज्ञापन एवं प्रचार नीति
ADVERTISMENT AND PUBLICITY POLICY

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

"Warehousing Bhawan"

4/1, Siri Institutional Area August Kranti Marg, Hauz Khas

New Delhi-110 016 Ph. 2656 6107, Telefax: 2651 8675

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
Central Warehousing Corporation
(A Govt. Of India Undertaking)

कमांकः के.भ.नि./प्रचार/विज्ञापन नीति/2009–2010/ दनांकः 25.08.2009

क्षेत्रीय प्रबंधक,
केंद्रीय भण्डारण निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय,
अहमदाबाद, भोपाल, बैंगलौर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चैन्नई, दिल्ली,गुवाहटी, हैदराबाद, जयपुर, कोची, कोलकात्ता, लखनऊ, मुम्बई, नवी मुंबई, पंचकुला, पटना।

विषयः—विज्ञापन और प्रचार नीति के संबंध में।

महोदय,

निदेशक मंडल की 281वी बैठक में विधिवत रूप से अनुमोदित विज्ञापन और प्रचार नीति इस पत्र के साथ संलग्न है। निदेशक मंडल ने इस बात पर बल दिया है कि पत्रिकाओं में प्रचार सामग्री हिन्दी/अंग्रेजी में जारी की जाए तथा खर्च की जाने वाली कुल राशि से 50% राशि हिन्दी के विज्ञापनों पर तथा शेष बची 50% राशि अंग्रेजी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विज्ञापन पर खर्च की जाए। यह निर्णय संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार लिया गया है।

सूचनार्थ प्रस्तुत।

भवदीय

(भूमेश चन्द्र)
उप महा प्रबंधक(प्रचार)

संलग्नकः उपरोक्त

प्रतिलिपिः1. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक के निजी सचिव
2. निदेशक(वित्त), निदेशक(कार्मिक), निदेशक(एम एंड सी.पी.), केंद्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय के निजी सचिव।
3. सचिव, केंद्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय के निजी सचिव।
4. सभी विभागाध्यक्ष, केंद्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय नई दिल्ली।
5. सभी कार्यकारी अभियंता, केंद्रीय भंडारण निगम, निर्माण खण्ड।

(भूमेश चन्द्र)
उप महा प्रबंधक(प्रचार)

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
Central Warehousing Corporation
(A Govt. Of India Undertaking)

NO.CWC/PUB/Advertisement Policy/2009-2010 Dated: 25.08.2009

The Regional Managers,
Central Warehousing Corporation,
Regional Office,
Ahmedabad, Bhopal, Bangalore, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Delhi, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Navi Mumbai, Panchkula, Patna.

SUB: advertisement & Publicity Policy ...regarding.

Sir,

Please find enclosed herewith the advertisement & Publicity policy, duly approved by the Board of Directors in its 281st meeting. BOD has stressed for release of publicity material in Hindi/English journals, be substituted with a minimum of 50% of the total amount spent on advertisement be in Hindi and the remaining 50% be spent on advertisement in English and other regional languages. This is in tune with the recommendations of the committee of Parliament on official language.

This is for your information please.

Yours faithfully,

Encl: As above

(BHUMESH CHANDRA)
DGM (PUBLICITY)

Copy to:-1. PS to Chairman/Managing Director
2. PS to Director (Fin.), Director (Pers.), Director (M&CP), CWC, CO, New Delhi.
3. PS to Secretary, CWC, CO, New Delhi.
4. All HODs, CWC, CO, New Delhi.
5. All EEs, CWC, Construction Cell(s).

(BHUMESH CHANDRA)
DGM (PUBLICITY)

CO: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016 TELEFAX NO.26518032.

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

विज्ञापन एवं प्रचार नीति

1. प्रस्तावना

केन्द्रीय भण्डारण निगम एक राष्ट्रीय भण्डारण एजेन्सी है जो कृषि आदानों एवं उत्पादों तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं, बाण्डेड वेअरहाउसिंग, अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं/कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों के प्रचालन,पैस्ट नियन्त्रण सेवाएं,रेल द्वारा कंटेनरों के परिवहन इत्यादि कार्यों में संलग्न है। केन्द्रीय भण्डारण निगम एक सम्पूर्ण लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता के रूप में सकिय रूप से उभर कर सामने आ रहा है । राज्य भण्डारण निगमों के रूप में अपने 17 सहयोगियों के रूप में केन्द्रीय भण्डारण निगम, किसानों/व्यापारियों आदि को परकाम्य वेअरहाउस रसीद जारी करने के क्षेत्र में भी सबसे आगे है । भण्डारण (विकास . एवं नियमन) अधिनियम,2007 के बनने एवं वर्ष 2009–10 के केन्द्रीय बजट में पंजीकृत वेअरहाउस स्थापित करने एवं चलाने के लिए निजी खिलाड़ियों को आमन्त्रित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रावधान के पश्चात् देश में भण्डारण–परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। इस प्रकार केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा एक अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक वातावरंण में कार्य करने की प्रबल संभावना है ।

अतः निगम का कारोबार बढाने के लिए उसकी सेवाओं का प्रचार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि इसके अपने हितधारियों तथा कृषक समुदाय सहित जन सामान्य के बीच इसकी छवि में और सुधार किया जा सके । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय भण्डारण निगम ने अपनी एक विज्ञापन एवं प्रचार नीति बनाई है जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

2. उद्‌देश्य :

i. जन सामान्य/निगम की सेवाओं के प्रयोगकर्ताओं,व्यापारियों, आयातकों एवं निर्यातकों आदि के मध्य निगम की क्षमताओं, सेवाओं एवं उपलब्धियों का व्यापक प्रचार करना ।

ii. केन्द्रीय भण्डारण निगम की छवि को एक सम्पूर्ण लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाली राष्ट्रीय भण्डारण एजेन्सी के रूप में प्रस्तुत करना।

iii. खाद्यान्नों के भण्डारण तथा फसल कटाई के बाद खाद्यान्नों के भण्डारण में होने वाली हानियों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए किसानों को शिक्षित करने में निगम के योगदान को रेखांकित करना।

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

ADVERTISEMENT AND PUBLICITY POLICY

1. PREAMBLE:

Central Warehousing Corporation (CWC) is the National storage agency performing functions of scientific storage of agricultural inputs and produces and other notified commodities, bonded warehousing, operation of ICDs/CFSs, Pest Control services, rail transportation of containers, etc. CWC is also actively emerging as a total logistics solutions provider. CWC alongwith its associates, 17 State Warehousing Corporations (SWCs) have also been in the forefront in issuing negotiable Warehouse Receipt to the farmers / traders etc. The warehousing scenario in the country is likely to undergo significant change with the enactment of Warehousing (Development & Regulation) Act, 2007, as well as the fiscal incentives extended in the Union Budget, 2009-10 inviting entry of private players to establish and run Registered Warehouses, thus posing huge competition to CWC.

Therefore, there is an imperative business requirement to publicize the service portfolio of the Corporation in order to retain and improve the standing and the image of the Corporation among all stake holders and general public including the farming community. Keeping in view the above, the Corporation lays down the Policy on Advertisement and Publicity with the following salient features.

2. OBJECTIVES:

i. *To widely publicize among the public, users, trade, impex operators etc. about the capabilities, services and the achievements of the Corporation.*

ii. *To project CWC as a National storage agency capable of delivering total logistics solutions.*

iii. *To highlight contributions of CWC towards food grains storage, educating the farming community towards post – harvest loss minimization at farm level.*

iv. वैज्ञानिक भण्डारण एवं लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में कार्य करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली एक प्रमुख निगमित संस्था के रूप में केन्द्रीय भण्डारण निगम की छवि में सुधार लाना ।

v. भारत में सार्वजनिक भण्डारण की आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं संवर्धन के क्षेत्र में निगम के योगदान को सामने लाना ।

3. **विज्ञापन**

विज्ञापन एवं प्रचार निम्नलिखित माध्यम से किया जाता है :

क) दृश्य प्रचार
ख) प्रिन्ट मीडिया
ग) इलैक्ट्रॉनिक मीडिया

निगम निम्नलिखित के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है :

क) प्रचालनात्मक आवश्यकताएं एवं
ख) प्रचार/संस्थागत संवर्धन उद्‌देश्य

डीएवीपी ने सूचित किया है कि इण्डियन न्यूज पेपर सोसायटी के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों के विज्ञापनों को समाचार–पत्र वाणिज्यिक दरों पर प्रकाशित करेंगे तथा वर्तमान में डीएवीपी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों के विज्ञापनों को कुछ समाचार–पत्रों में रिलीज करने की स्थिति में नहीं हैं. । अतः यदि मीडिया/ पत्रिकाओं/एजेन्सियों द्वारा स्वीकृति मिल जाए तो विज्ञापनों की दर जहां तक संभव हो सके डीएवीपी द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार होनी चाहिए । यदि स्वीकृति न मिले तो वाणिज्यिक दरें स्वीकार की जा सकती हैं।

i. **प्रचालनात्मक विज्ञापन** :

प्रचालनात्मक विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जिनके माध्यम से केन्द्रीय भण्डारण निगम रख–रखाव एवं परिवहन, सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग सेवाएं,कंसलटैंसी,भर्ती प्रक्रिया,सामान/उपकरणों/रसायनों,निर्माण,मरम्मत,आधारभूत सेवाओं के रख–रखाव,वार्षिक साधारण बैठक/निदेशक के निर्वाचन आदि से संबंधित सार्वजनिक सूचनाओं आदि के लिए निविदाएं आमन्त्रित करता है। प्रचालनात्मक विज्ञापन समयबद्ध होते हैं तथा वे मीडिया/संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयन किएं गए समाचार–पत्रों में दिए जाते हैं ।

iv. To strengthen the image of CWC as a leading Corporate house, dealing with scientific storage and logistics, contributing to the national economy.

v. The contributions of the Corporation in developing and strengthening the public warehousing infrastructure in India.

3. ADVERTISEMENTS:

Advertisement and publicity may be made through:

a) Visual Publicity,

b) Print Media,

c) Electronic Media.

The Corporation may release advertisements for:

a) Operational requirements and

b) Publicity / Institution Promotion purposes.

DAVP has informed that as per Indian Newspaper Society, the newspapers will publish advertisements of PSUs at commercial rates and at present DAVP is not in a position to release the advertisements of PSUs in some newspapers. Therefore, the advertisement rates may as far as possible be allowed as per the rates approved by DAVP, if accepted by the media / publications / agencies; if not the commercial rates may be accepted.

(i) OPERATIONAL ADVERTISEMENTS:

The **operational advertisements** are those through which CWC invites bid to perform functions such as handling and transport, security & housekeeping services, consultancy, recruitment process, supply of stores / equipments / chemicals, construction, repair and maintenance of infrastructure, public notices pertaining to AGM / election of Director, etc. The operational advertisements are time bound in nature and as such shall be released in the media / newspapers chosen by the respective Competent Authority.

ii. प्रचार/संस्थागत संवर्धन विज्ञापन

प्रचार/संस्थागत संवर्धन विज्ञापन वे होते हैं जिनके माध्यम से केन्द्रीय भण्डारण निगम अपनी सेवाओं/उपलब्ध उत्पादों,उपलब्धियों एवं निगम की छवि से संबंधित प्रचार–प्रसार करता है ।

- प्रचार विज्ञापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वविवेक पर चयन किए गए मीडिया में दिए जा सकते हैं ।
- प्रचार/संस्थागत संवर्धन विज्ञापन (आईपीए) उन मीडिया/समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में दिए जा सकते हैं जिनका सर्कुलेशन कम से कम राज्य स्तर तक हो । यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार के प्रकाशन,रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर ऑफ इण्डिया (आरएनआई) के पास पंजीकृत हों अथवा डीएवीपी के पैनल में अथवा नेशनल रीडरशिप सर्वे (एनआरएस) में आते हों ।
- वित्तीय वर्ष में प्रचार/संस्थागत संवर्धन विज्ञापन (आईपीए) एक ही प्रकाशन को दो बार से अधिक नहीं दिये जायेंगे ।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वित्त वर्ष में विज्ञापनों पर खर्च की गई कुल राशि का कम से कम 50 प्रतिशत हिन्दी में तथा शेष 50 प्रतिशत अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में होगा ।
- प्रचार/संस्थागत संवर्धन विज्ञापन (आईपीए) केन्द्रीय,राज्य सरकारों,मंत्रालयों,केन्द्र एवं राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य भण्डारण निगमों की गृह पत्रिकाओं,स्मारिका आदि में तथा भारतीय व्यापार/व्यावसायिक पत्रिकाओं में रिलीज किए जायेंगे ।
- ऊपर वर्णित प्रकाशनों के अलावा अन्य किसी श्रेणी के प्रकाशनों में प्रचार/संस्थागत संवर्धन विज्ञापन (आईपीए) प्रकार्यात्मक निदेशक अथवा प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन से ही जारी किए जायेंगे ।

4. न्यूज़ लैटर का प्रकाशन

वर्तमान में केन्द्रीय भण्डारण निगम भण्डारण भारती एवं हिन्दी स्मारिका नाम से पत्रिकाएं प्रकाशित करता है जिसमें भण्डारण एवं लॉजिस्टिक से संबंधित लेख एवं निगम की गतिविधियों के बारे में विवरण दिया जाता है और इन्हें निगम के सभी हितधारियों में प्रचालित किया जाता है जिसे जारी रखा जाएगा ।

(ii) PUBLICITY / INSTITUTION PROMOTIONAL ADVERTISEMENTS :

Publicity / Institution Promotional advertisements *(IPAs) are those through which CWC propagate the services / products available, achievements, and image projecting messages of the Corporation, etc.*

- *The publicity advertisements may be released to the media chosen by the Competent Authority at his discretion.*
- *The IPAs may be released to the media / newspapers / periodicals which at least has Statewide circulation. It may be ensured that such periodicals are registered with Registrar of Newspapers of India (RNI) or empanelled by DAVP or figuring in National Readership Survey (NRS).*
- *Release of IPAs to the same periodical shall not be more than two times in a financial year.*
- *It may be ensured that a minimum of 50% of the total amount spent on advertisements be in Hindi and the remaining 50% be spent on advertisements in English and other regional languages in a financial year.*
- *IPAs may also be released in House Journals, Souvenirs etc. of Central / State Government Ministries; Central / State PSUs / SWCs; Indian Trade / Professional Magazines.*
- *IPAs to any other category of publication not covered in the above will be issued only with the approval of any one of the Functional Director or Managing Director.*

4. **PUBLICATION OF NEWSLETTER** :

At present, user specific newsletters by name 'Bhandaran Bharti' and 'Smarika' are being published with articles on warehousing and logistics and about the activities of the Corporation and circulated to all the stockholders, which may be continued.

5. सेमिनार, सम्मेलन,प्रदर्शिनियॉ

निगम वेअरहाउसिंग,लॉजिस्टिक आपूर्ति. श्रंखला प्रबन्धन आदि के क्षेत्र में भारत / विदेशों में आयोजित सेमिनार, सम्मेलन,प्रदर्शिनियॉ,व्यापार मेलों कृषि मेलों में आदि में भाग लेगा ।

6. कॉरपोरेट फिल्म

सेमिनारों प्रदर्शिनियों,अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरों के समय / ग्राहक प्रजेन्टेशन आदि के दौरान निगम के छवि निर्माण एवं निगमित प्रचार के भाग के रूप में कॉरपोरेट फिल्म(फिल्में) बनाई जायेंगी एवं प्रयोग की जायेंगी ।

7. इलैक्ट्रोनिक मीडिया

निगम की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की बेहतर रूप में जानकारी देने के लिए इलैक्ट्रोनिक मीडिया तथा वेब साइटों में विज्ञापन जारी किए जायेंगे।

8. कियान्वयन की विधि

इस उद्देश्य के लिए उचित प्राधिकारी एवं शक्तियों का प्रत्याजोन इस प्रकार होगाः–

क. प्रचालनात्मक विज्ञापन

कार्यकारी अभियन्ता,क्षेत्रीय प्रबन्धक,विभागध्यक्ष,प्रकार्यात्मक निदेशक एवं प्रबन्धक निदेशक प्रचालनात्मक विज्ञापन रिलीज करने एवं वास्तविक व्यय स्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे ।

ख. प्रचार / संस्थागत संवर्धन विज्ञापन

i) क्षेत्रीय प्रबन्धक– 10,000 / –रू0 प्रति विज्ञापन तक तथा कुल व्यय क्षेत्र के लिए निर्धारित बजट सीमा के भीतर होगा ।

ii) सचिव / प्रचार विभाग,निगमित कार्यालय के मुखिया– 25,000 / –रू0 प्रति विज्ञापन तक ।

iii) प्रकार्यात्मक निदेशक– 50,000 / –रू0 प्रति विज्ञापन तक ।

iv) प्रबन्ध निदेशक–50,000 / –रू0 प्रति विज्ञापन से ऊपर ।

5. **SEMINARS, CONFERENCES, EXHIBITIONS :**

The Corporation may participate in seminars, conferences, exhibitions, trade fairs, Krishi Melas organized in India / abroad in the areas of warehousing, logistics, supply chain management, etc.

6. **CORPORATE FILM :**

Corporate Film(s) will be made and used as a part of the Image building and Corporate Publicity exercises during seminars, exhibitions, VIP visits, customer presentations etc.

7. **ELECTRONIC MEDIA :**

Advertisements in electronic media as well as websites may be released with an aim to give better exposure to the activities and achievements of the Corporation.

8. IMPLEMENTATION METHODOLOGY :

Appropriate Authority and the delegation of power are given below :

a) Operational Advertisements :

The EE / RMs, HODs, Functional Directors and MD are competent to release operational advertisements and sanction the actual expenditure.

b) IPAs :

i) RM - upto Rs. Ten Thousand per advertisement and the overall expenditure will be within the budgetary limit provided for the Region in this regard.

ii) Secretary / Head of Publicity Division, CO – Upto Rs. Twenty five thousand per advertisement;

iii) Functional Directors - upto Rs. Fifty Thousand per advertisement.

iv) MD - above Rs. Fifty Thousand per advertisement.

V) निगमित कार्यालय में संबंधित प्राधिकारी के अनुमोदन से निगमित कार्यालय का प्रचार विभाग मीडिया में प्रचालनात्मक/प्रचार/संस्थागत संवर्धन विज्ञापन (आईपीए) जारी करने के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा बजट प्रावधानों के अनुसार व्यय की अनुवीक्षा भी करेगा ।

9. उपरोक्त दिशा निर्देशों के संबंध में किसी व्याख्या अथवा चूक के मामले में प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा । प्रबन्ध निदेशक अपने विवेक से उपरोक्त नीति दिशा–निर्देशों में किसी अपवाद के लिए भी निर्णय ले सकेंगे ।

--------000-----------

v) The Publicity Division, CO will act as the nodal agency for releasing operational / IP advertisements to the media, as approved by the Authority concerned in CO and will monitor the expenditure thereof against the budget provisions.

9. In case of any interpretation or omission in the aforesaid guidelines, MD's decision will be final. MD may also decide on any exception in the above policy guidelines at his discretion.

***